न्यायालय- मा. ... राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र. क्र. निगरानी / छतरपुर / भू0राजस्व / 2018 /

निगरानी- 4276/2018/ छतरपुर/ भू.रा.

192

श्री जगदीश श्रीवास्तव अभि० द्वारा आज दि० 6-7-18 प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 16-7-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 6-7-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

(1) बलदेव पुत्र श्री हलकाई यादव
(2) शम्भू पुत्र श्री मोहन यादव
(3) बुद्धसिंह पुत्र श्रीहलकाई यादव
(4) परमलाल पुत्र श्री मोहन यादव
(5) बलदेव पुत्र. श्री मोहन यादव समस्त निवासीगण ग्राम रजपुरा तहसील बडा मल्हारा जिला छतरपुर म0प्र0 .....प्रार्थीगण

बनाम

(1) विन्द्रावन तनय स्व0श्री हल्कू यादव
(2) फूलसिंह तनय हल्कू यादव
(3) जगतराज तनय हल्कू यादव
(4) मनप्यारे तनय हल्कू यादव
(5) धनीराम तनय बालचन्द्र यादव
(6) भगवानदास तनय बालचन्द्र यादव
(7) हल्के तनय बालचन्द्र यादव
(8) धनप्रसाद तनय बालचन्द्र यादव
(9) मुलायम तनय बालचन्द्र यादव
(10) लच्छीबाई पत्नी स्व0श्री बालचन्द्र यादव
(11) गोकल तनय मोहन यादव समस्त निवासीगण रजपुरा तहसील बडामलहरा जिला छतरपुर म0प्र0
(12) ललतियॉ पुत्री खुन्दू यादव निवासी ग्राम बिलगॉव तहसील बिजावर जिला छतरपुर म0प्र0
(13) मानवाई पुत्री खुन्दू यादव निवासी ग्राम कमोदपुरा तहसील बडामलहारा जिला छतरपुर म0प्र0
(14) जानकारी तनय हल्काई यादव निवासीगण रजपुरा तहसील बडामलहरा जिला छतरपुर म0प्र0 ....प्रतिप्रार्थीगण

श्रीवास्तव 6/6/18

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय अनुविभागीय अधिकारी बडामलहारा जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 204 / 2017–18 अपील में पारित आदेश दिनांकी 26.06.2018 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

श्रीमान जी,

प्रार्थीगणों की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यह कि, ग्राम रजपुरा में स्थित सर्वे कमांक 173 जो कि प्रार्थीगणों के पूर्वजों की संपत्ति

कमंश...........2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4276/2018/छतरपुर/भू.रा. बलदेव विरूद्ध विन्द्रावन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश श्रीवास्तव उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बडामलहरा जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 204/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 26-06-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 06-07-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 8/1/19
सदस्य